प्रवेश नियम

1. प्रवेशार्थी को अपना प्रवेश आवेदन पासपोर्ट साइज फोटो (परिचय-पत्र के लिए एक अतिरिक्त) तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की (स्वहस्ताक्षरित एवं किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) प्रतिलिपि सहित प्रात: 9.00 बजे से 2.00 बजे तक सम्बन्धित प्रवेशाधिकारी (प्रवेश समिति के लिए देखें पृष्ठ कवर) के समक्ष पंजीकरण/प्रवेश हेतु प्रस्तुत करना होगा।

2. पंजीकरण/प्रवेश शुल्क उसी दोपहर 3.00 बजे तक जमा करना होगा। जो प्रवेशार्थी किसी कारणवश उस दिन शुल्क जमा नहीं कर पाता है, उसे पुन: प्रवेश अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. एम॰ एस-सी॰ प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को रु॰ 25/- नकद जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

4. (क) कोई भी प्रवेशार्थी कॉलेज का स्थायी सदस्य तभी माना जाएगा, जब उसका प्रवेश के लिए दिया गया आवेदन-पत्र प्रवेश नियमों के अनुसार प्रवेशाधिकारी/प्राचार्य द्वारा स्वीकृत हो जाए तथा वह कॉलेज द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्राचार्य द्वारा मांगे गए प्रपत्र (जैसे स्थानांतरण प्रमाणपत्र तथा प्रव्रजन प्रमाणपत्र) जमा कर दे तथा प्रवेश के समय ही अपना नवीन फोटो-युक्त परिचय पत्र बनवा ले।

   (ख) किसी प्रवेशार्थी द्वारा कोई धनराशि जमा करने का यह अर्थ नहीं होगा कि कॉलेज की किसी कक्षा में प्रवेश या पुन: प्रवेश पाने का उसे अधिकार प्राप्त हो गया।

   (ग) किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश के पश्चात् विषय या संकाय में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

5. किसी भी स्वर्यनिर्भर विदेशी को किसी भी कक्षा में तब तक प्रवेश नहीं मिल सकेगा, जब तक वह कुलपति, चौ॰ चरण सिंह विश्वविद्यालय से प्रवेश स्वीकृति नहीं प्राप्त कर लेता।

6. प्रवेश में आरक्षण की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी (देखें पृष्ठ 21)।

7. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के प्रवेशार्थियों को आय का नवीनतम प्रमाणपत्र तथा जाति प्रमाणपत्र मूल रूप से प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ लगाने होंगे, अन्यथा उन्हें शुल्क सम्बन्धी कोई लाभ नहीं मिल सकेगा।

8. अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग तथा पिछड़ी जाति के (न्यूनतम अर्हता सम्पन्न) प्रवेशार्थियों के अपेक्षित कक्षा में आवेदन न करने पर अवशिष्ट स्थान अन्य प्रवेशार्थियों द्वारा भरे जा सकते हैं।

9. **जिन प्रवेशार्थियों ने गत वर्ष कहीं अध्ययन नहीं किया है अथवा उनके द्वारा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त यदि एक वर्ष से अधिक अध्ययन-अन्तराल** (Gap) **है, तो उन्हें किसी भी दशा में कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल सकेगा।**

10. यदि किसी प्रवेशार्थी ने नियमित विद्यार्थी के रूप में स्नातकोत्तर डिग्री पहले ही अर्जित कर रखी हो अथवा किसी एक अथवा एकाधिक स्नातकोत्तरीय डिग्री के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में दो वर्ष तक अध्ययन किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को किसी ऐसी स्नातकोत्तरीय डिग्री के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसके लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की हुई हो।

11. यदि कोई विद्यार्थी स्नातकोत्तरीय डिग्री के लिए किसी ऐसे विषय में प्रवेश लेना चाहता हैं जिसमें व्यक्तिगत रूप से परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उस विषय में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब वह विषय उसने स्नातक स्तर पर पढ़ा हो।

12. **जिस विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा पाठ्यक्रम का अंग हो उसमें स्नातकोत्तरीय डिग्री के लिए प्रवेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उस विषय के साथ अर्हकारी परीक्षा 45% न्यूनतम अंकों से उत्तीर्ण न की हो।**

13. यदि कोई छात्र किसी कक्षा में अपेक्षित उपस्थिति प्राप्त कर लेता है किन्तु उस कक्षा में विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं बैठ पाता या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे उस खण्ड में उस पाठ्यक्रम विशेष के नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह पाठ्यक्रम उसे भूतपूर्व छात्र (ex-student) के रूप में ही पूरा करना पड़ेगा।

14. महाविद्यालय में प्रवेश मैरिट/सीट संख्या के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय के नियमों के विरुद्ध अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट संख्या से अधिक किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसे विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में बेठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुलपति को नियम-विरुद्ध हुए प्रवेश को रद्द करने का अधिकार होगा।

15. किसी छात्र का कार्य या आचरण असन्तोषजनक होने पर उसे विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रावधानानुसार कॉलेज से निकाला जा सकता है।

16. प्राचार्य ऐसे किसी भी प्रवेशार्थी को कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर सकते हैं जिसका प्रवेश कॉलेज अनुशासन के हित में न हो।

17. प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएँ कॉलेज नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएँगी। किसी भी प्रवेशार्थी को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाएगा।

18. सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र में छात्रों से सम्बन्धित अवकाश, परीक्षा फार्म भरने/न भरने, उपस्थिति, अपूर्ण आदि की सूचना नोटिस बोर्ड पर समय-समय पर लगाई जाएगी। छात्रों का कर्त्तव्य है कि वे नियमित रूप से नोटिस बोर्ड देखें। किसी भी छात्र को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाएगा।

विषय अथवा सेक्शन में परिवर्तन

छात्रों को विषय का चयन सोच-विचार कर करना चाहिए, क्योंकि बाद में परीक्षा फार्म में भी इन्हीं विषयों को भरना होगा। यदि कोई छात्र प्रवेश-पत्र में भरे गए विषयों से भिन्न कोई विषय अपने परीक्षा फार्म में भर देता है तो त्रुटि के दुष्परिणाम के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। विषय के चयन के लिए आरम्भ में दिये गये नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

साधारणत: एक बार लिये विषय तथा निश्चित किये सैक्शन में परिवर्तन नहीं होगा। यदि बहुत ही विशेष कारण से किसी छात्र को विषय अथवा सैक्शन में परिवर्तन कराना हो तो इसके लिए प्रवेश के पश्चात् 15 दिन के अन्दर प्रार्थना-पत्र देना होगा। उक्त तिथि के पश्चात् ऐसे प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे।